कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सुकमा, जिला सुकमा(छ.ग.)

//संक्षिप्त ई–निविदा प्रथम बार आमंत्रण सूचना क्रमांक–10//

क्रमांक/ 388/निविदा/ग्रा.यां.सेवा/2026–27 सुकमा दिनांक–16/06/2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत (लोक निर्माण विभाग में) “द“ वर्ग एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न दर्शित सिविल कार्य हेतु प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी दिनांक 01.11.2021 एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दिनांक 01.01.2015, से प्रचलित दर अनुसूची तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी दिनांक 01.06.2020 से प्रचलित दरो एवं अद्यतन संशोधित दरों पर निविदा दिनांक 30/06/2026 तक ऑनलाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र	कार्य का नाम	कार्य की अनु..लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की मूल्य	कार्य अवधि	ठेकेदार की श्रेणी	निविदा का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	9
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य किस्टाराम।	68.02	51000/-	3000/-	10 माह वर्षा काल सहित	“D” वर्ग एवं उच्च श्रेणी	प्रथम बार

2. निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति (परिशिष्ट – 2.10 एवं निविदा दस्तावेज परिशिष्ट–2.13) यथा संशोधित व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट http://res.cg.gov.in एवं http://eproc.cgstate.gov.in में अथवा कार्यालयीन अवधि में कार्यालय मे उपस्थित होकर दिनांक 16/06/2026 से देखी जा सकती है।
3. निविदा की अन्य शर्ते निम्नानुसार हैः–

(i) निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट में पंजीयन कराना अनिवार्य है। किसी भी निविदाकार द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत (लोक निर्माण विभाग में) पंजीयन की सत्यापित प्रति निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) किसी भी ठेकेदार के पास किसी भी समय सभी विभागों से प्राप्त कार्यों को मिलाकर दो गुना से अधिक कार्य नही होना चाहिए। अतः तकनीकी योग्यता निर्धारित करते समय ऐसे ठेकेदारों को जिनके पास उक्त सीमा से अधिक लागत का कार्य शेष है, को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

(iii) जिन ठेकेदारों ने पूर्व में सभी शासकीय विभागो में निर्माण कार्य हेतु प्राप्त अनुबंधित समयावधि तिथि से 1 वर्षो तक बिना विधिक कारण के कार्य पूर्ण नही किये है, अथवा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात भी बैगेर कारण के कार्य का अनुबंध नहीं किया है, उन्हे भी तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जावेगा।

(iv) निविदा आनलाईन दो अलग–अलग लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि, सत्यनिष्ठा संधि एवं शपथ पत्र एवं द्वितीय लिफाफा में तकनीकी दस्तावेज परिशिष्ट I(i), I(ii), I(iii) जो संलग्न प्रपत्र में विस्तृत भरा हुआ हो तथा बैंक सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तत्पश्चात दोनो लिफाफा, तीसरे लिफाफा में भरकर प्रस्तुत करना होगा, प्रथम लिफाफा में अपात्र होने की स्थिति में द्वितीय लिफाफा नहीं खोला जावेगा। (शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार)।।

(v) विस्तृत निविदा विवरण की विशेष शर्ते की कंड़िका क्र–8''अ'' के अनुसार प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।

(vi) वित्तीय प्रस्ताव खोलने के पूर्व सत्यनिष्ठा संधि, जो निविदाकार द्वारा रू. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सरल क्रमाक 1.1 एवं 14 में तिथि में छोड़कर अन्य कंडिकाएं भर कर प्रस्तुत की जावेगी तथा इसका उल्लेख शपथ पत्र में किया जावेगा, को स्केन कर अपलोड किया जावेगा तथा (स्वहस्ताक्षरित एवं फर्म/जिस नाम से पंजीयन हो उनका सील प्रत्येक पृष्ठ पर होना चाहिए, नोटरी मान्य नही होगा।) हस्ताक्षरित हार्ड कापी को वित्तीय प्रस्ताव खोलने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अमानत राशि के लिफाफे (A) में रखकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

(vii) सत्यनिष्ठा संधि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर बगैर वित्तीय प्रस्ताव खोले जमा अमानत राशि राज्य शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

(viii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) एवं विभिन्न प्रावधानों को धारा 1952 के तहत निविदाकार का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है साथ ही निविदा आमंत्रण दिनांक से विगत तीन माह की अवधि में जमा किये गये चालान/भुगतान सर्टिफिकेट पत्र की प्रति प्रस्तुत करना तथा ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(ix) ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में नियोजित प्रत्येक श्रमिक के पास छ.ग. श्रम कल्याण मंडल द्वारा जारी परिचय पत्र होना अनिवार्य है।

(x) ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी संधारित की जावेगी तथा प्रत्येक नियोजित श्रमिक को उसके बैंक एकाउण्ट में सीधे भुगतान करना अनिवार्य है।

(xi) ठेकेदार को नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी/मस्टररोल, वेतन भुगतान पंजी, नियोजन पंजी का संधारण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ–साथ अन्य लाभ जैसे– ओव्हर टाइम भत्ता, बोनस, ग्रेच्युटी, मातृत्व हितलाभ, अवकाश,ई.एस.आई., भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी लाभ देना अनिवार्य है।

(xii) यदि कोई ठेकेदार पावर आफ एटार्नी के आधार पर कार्य को सबलेट करता है तो उसका अनुबंध समाप्त करने हेतु विभाग पूर्णतः सक्षम रहेगा।

(xiii) सबलेट में दिये गये कार्य की राशि मूल ठेकेदार के अनुभव में से कम किया जावेगा तथा निजी ठेकेदार से प्राप्त कार्य के अनुभव को मान्य नही किया जावेगा।

(xv) परिशिष्ट 2.10 के Annexure G (Special Condition of NIT) की 4 (1 to 5) के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 3 वर्ष तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगा।

(xiv) विशेष शर्त की कंडिका–4 के अनुसार परफार्मेंस गारंटी के रूप में प्रत्येक देयक से 5% अतिरिक्त सुरक्षा निधि काटी जाएगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर 36 माह की बैंक गारंटी में बदला जा सकता हैं । ठेकेदार चाहे तो अनुबंध के पूर्व अनुबंध राशि की 5% अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा कर सकता हैं । ऐसी स्थिति में प्रत्येक देयक से अतिरिक्त 5% की राशि की कटौती नहीं की जावेगी ।

(xv) निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेज सत्यता के संबंध में रू. 50.00 का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(xvi) निविदा विज्ञप्ति परिशिष्ट 2.10 की कंडिका 3.8.1 में दिये गये प्रोफार्मा अनुसार ठेकेदारों को बैंक सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र या उसकी सत्यापित प्रतिलिपि जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाणित हो, जिसका मूल्य निविदा राशि का 15% के बराबर होना चाहिए जो निविदा आवेदन के दिनांक से 12 माह से अधिक समय पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. चूंकि निविदाऐं आनलाईन 30/06/2026 तक प्रस्तुत की जानी है अतः अमानत राशि सत्यनिष्ठा संधि एवं तकनीकी दस्तावेज स्पीड पोष्ट के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 02/07/2026 को कार्यालयीन समय अपरान्ह 17.30 बजे तक पहुचना अनिवार्य है। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा ।
5. निर्माण कार्य की अमानत राशि (एफ.डी.आर) कार्यपालन अभीयंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सुकमा के नाम से देय तथा मेन्युअल दस्तावेज कार्यालय में समय सीमा में पहुंचना अनिवार्य है। राष्ट्रीयकृत बैंक का ही अमानत राशि (एफ.डी.आर) मान्य होगा।
6. ऑनलाईन निविदा समय सारिणी अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर की जावेगी ।
7. तकनीकी दस्तावेज खोलने के बाद निविदाकार दो दिवस के अंदर ही अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, उसके बाद प्रस्तुत दावाआपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। दावाआपत्ति के निराकरण के पश्चात् ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जावेगा।
8. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निविदा समिति, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सुकमा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।
9. उपरोक्त सामान्य शर्त निविदा अनुबंध का भाग है।

कार्यपालन अभियन्ता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सुकमा
जिला – सुकमा (छ0ग0)

पृ. क्रमांक/389/निविदा/ग्रा.यां.सेवा/2026–27 सुकमा दिनांक– 16/06/2026

प्रतिलिपि :–

1. अति. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, बलौदा बाजार मार्ग, विधानसभा चौक, रायपुर,(छ.ग.)
3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ ।
4. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ ।
5. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बस्तर मण्डल जगदलपुर ।
6. कलेक्टर ,जिला सुकमा (छ.ग.)।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा ।
8. सर्व कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
9. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप–संभाग सुकमा/छिन्दगढ़/कोन्टा की ओर प्रचारनार्थ ।
10. एक प्रति तकनीकी शाखा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग सुकमा हेतु ।
11. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।

कार्यपालन अभियन्ता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सुकमा
जिला – सुकमा (छ0ग0)